

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री सच्चिदानन्द सिंह, पिता- स्व० हरि प्रसाद सिंह, सा०-डोहटवारी वार्ड नं०-०३ थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा के नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या ०१/१९८७ (उदाकिशुनगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या- ए/४ ७३९३/१९८६ धारित है। इनके द्वारा सूचित किया गया है कि इनकी उम्र करीब ९५ वर्ष हो गया है एवं प्रायः अस्वस्थ रह कर रहे हैं। अस्वस्थ एवं अधिक उम्र हो जाने के कारण ये अपने उक्त बन्दुक का देख-रेख, हिफाजत नहीं कर पाते हैं एवं समय-समय पर बन्दुक का भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाते हैं। इनके द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए धारित शस्त्र को उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना में जमा करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा १७ (६) के तहत श्री सच्चिदानन्द सिंह, पिता- स्व० हरि प्रसाद सिंह, सा०-डोहटवारी वार्ड नं०-०३ थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को प्रदत्त एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या ०१/१९८७ (उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है तथा उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र संख्या-ए/४ ७३९३/१९८६ को शस्त्र अधिनियम की धारा २१ (१) के तहत उदाकिशुनगंज थाना के मालखाना में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं उदाकिशुनगंज थाना के द्वारा निर्गत पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

504
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....150...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक-.....23...../07/2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सच्चिदानन्द सिंह, पिता- स्व० हरि प्रसाद सिंह, सा०-डोहटवारी वार्ड नं०-०३ थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

23/07/15
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।